न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 10/2022

भगवान सैनी उर्फ भगवानाराम बनाम मूलसिंह आदि

–प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत

उपस्थिति :

1. श्री भंवरलाल बिजारणियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रामेश्वरलाल बिजारणियां, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–आदेश–

दिनांकः– 05.04.2022

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर द्वारा मुकदमा संख्या 12/2022 में पारित निर्णय दिनांक 07.01.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। प्रकरण में कैवियट प्राप्त होने पर उभयपक्ष को स्थगन पर सुना गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये बिना, अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एक पक्षीय रूप से विचाराधीन अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की है। इससे अपीलांट के हित प्रभावित हो रहे है। अत स्थगन स्वीकार कर विचाराधीन आदेश की पालना स्थगित की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट ने विचारण न्यायालय में उपस्थित होकर न तो अपना पक्ष प्रस्तुत किया है, न ही जवाब प्रस्तुत किया है, न ही किसी प्रकार की चाराजोही की है। ऐसी स्थिति में अपील के स्तर पर अपीलांट किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अपील इसी स्तर पर खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट ने विचारण न्यायालय में उपस्थित होकर न तो अपना पक्ष प्रस्तुत किया है, न ही जवाब प्रस्तुत किया है, न ही किसी प्रकार की चाराजोही की है। ऐसी स्थिति में अपील के स्तर पर अपीलांट किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है। विचारण न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि उनके समक्ष लम्बित आवेदन धारा 212 का आगामी एक माह में अन्तिम निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। अपीलांट विचारण न्यायालय में जवाब प्रस्तुत कर चारा जोही करें।

निर्णय आज दिनांक 05.04.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर